प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत बहुमंजिला भवन (लेक्चर थियेटर, वातानुकूलित पुस्तकालय, कांफ्रेंस हाल एवं कैपेटेरिया) एवं परीक्षा हाल हाल (फर्नीचर सहित) के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2025-26/112/96, दिनांक 24.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत यू0जी0 दृष्टिगत बहुमंजिला भवन (लेक्चर थियेटर, वातानुकूलित पुस्तकालय, कांफ्रेंस हाल एवं कैपेटेरिया) एवं परीक्षा हाल (फर्नीचर सहित) के निर्माण कार्य यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 2900.38 लाख की प्रति उपलब्ध कराते हुए उक्त आगणन का परीक्षण पी0एफ0ए0डी0 तथा व्यय वित्त समिति से कराते हुए कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु रू0 60.00 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश राज्यांश) है। शासनादेश संख्या-57/2023/1/296217/2023/71-1002/15/2022, दिनांक 30.03.2023 द्वारा रू0 16.57 करोड़, शासनादेश संख्या-110/2023/1/363840/2023/71-1002/15/2022, 07.08.2023 द्वारा रू0 7.43 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-138/2023/1/4095772023/71-1002/15/2022, दिनांक 17.10.2023 द्वारा रू0 14.40 करोड़, इस प्रकार कुल रू0 38.40 करोड़ (केन्द्रांश रू0 14.40 करोड़ व राज्यांश रू0 24.00 करोड़) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में यू0जी0 सीटों की वृद्धि के बहुमंजिला भवन (लेक्चर थियेटर, वातानुकूलित पुस्तकालय, कांफ्रेंस हाल एवं कैपेटेरिया) एवं परीक्षा हाल हाल (फर्नीचर सहित) के निर्माण कार्य** हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2843.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना की **प्रथम किश्त** के रूप में 35 प्रतिशत की धनराशि अर्थात् **रू0 995.274 लाख (रू0 नौ करोड़ पंचानवे लाख सत्ताईस हजार चार सौ मात्र) (केन्द्रांश)** की धनराशि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
2. प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित बॉट आउट आइटम्स के सम्बन्ध में वित्त लेखा, अनुभाग-1 के शासनादेश सं०- 9/2022/ए-1-357/दस / 2022-10 (55) / 2000, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के प्राविधानों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021- 10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (कंज्यूम्ड) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।

7. प्रायोजना में प्रस्तावित एकेडमिक बिल्डिंग में फर्नीचर हेतु रू0 89.44 लाख व परीक्षा हाल में फर्नीचर हेतु रू0 46.62 लाख प्रभाग द्वारा अनुमन्य किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रशासकीय विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जाये। इस समिति द्वारा इन फर्नीचर की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत (अधिकतम आंकलित लागत सीमान्तर्गत) अनुमोदित की जायेगी एवं तदनुसार प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी तथा इस संशोधित लागत व्यय वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

8. वाह्य विद्युत संयोजन मद में एकमुश्त लागत रू0 10.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है। उक्त हेतु विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जाये। उक्त मद में व्यय वास्तविकता के आधार पर देय होगा।

9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

10. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

11. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

14. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

15. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

17. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

18. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

19. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

20. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के एफ0आई0एन0आर0एम0एस0 सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-87/दस-2025-26 दिनांक 26 अगस्त, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।